समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

खाद्य सुरक्षा वाद संख्या–05 / 2018–19

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

M/S Mansarovar Multi Cuisine Restaurant

–::आदेश ::–

27.01.2020
31

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पत्रांक–15 दिनांक–28.01.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–14.10.2018 को डा0 अनिल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मेसर्स मानसरोवर मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेन्ट, प्रो0 श्री रंगनाथ उपाध्याय, GD–4 / 5, सिटी सेन्टर, सेक्टर–4, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जाँच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा 1000 ग्राम खोवा क्रय कर संग्रह करते हुए जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। जाँचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भेजा गया खोवा **Sub-Standard** है। जिसके आधार पर अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की u/s 3(1)(ZX) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया।

इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी दो बार नोटिस प्राप्त करने के बाद भी लगातार अनुपस्थित है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ (खोवा) जो कि Sub-Standard पाया गया है, को खरीदना एवं बेचना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उसके बावजूद भी उक्त Sub-Standard खोवा का दूकान में पाया जाना, उनके बेचने / उपयोग करने की मंशा को दर्शाता है। इसलिए विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की धारा–51 के अन्तर्गत कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत होता है।

ऐसे गंभीर मामले में विपक्षी को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी लगातार वाद के सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहना उनके उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि उन्हे अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खोवा विपक्षी के दुकान से पाया गया है। जॉच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत खोवा Sub-Standard है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस Sub-Standard खोवा का उपयोग ग्राहको के लिए नहीं किया जाता होगा। यदि ऐसे Sub-Standard खाद्य पदार्थ (खोवा) ग्राहकों को बेचा जाता है तो यह उनके स्वाथ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए विपक्षी पर लगाया गया आरोप सही है और दण्डनीय है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 **"Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakhs rupees."** के तहत विपक्षी पर रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र जुर्माना किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें साथ ही अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि ऐसे गंभीर मामले को देखते हुए प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट की अनुज्ञप्ति रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगें। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन कराने हेतु अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

31/7/2020
एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

31/7/2020
एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 1156 Dated 4/3/20

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.27 18:05:06 +05:30
Location: 192.168.1.102